झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2019

विज्ञापन

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2019
अधिसूचना

संo- विo निo-509/13 511 राँची, दिनांक - 16/09/2019

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए नोडल विभाग है। अब तक यह कार्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या- विoनिo-509/13- 224, दिनांक 19.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित किया जा रहा है। लेकिन, तकनीक के विकसित होने के साथ-साथ प्रचार-प्रसार के भी माध्यम नित विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे प्रचार-प्रसार के इन माध्यमों का भी उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापनों के निर्गमन एवं भुगतान से संबंधित वित्तीय शक्तियों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विकसित हो रहे नये माध्यमों की क्षमता के उपयोग एवं विज्ञापन हेतु राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि, वेब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्लेटफॉर्म का कार्यहित में यथासंभव उपयोग, विज्ञापन के निर्गमन एवं भुगतान संबंधी वित्तीय शक्तियों में परिवर्त्तन आदि के परिप्रेक्ष्य में निवर्त्तमान नियमावली को नये सिरे से गठित करने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्तमान विज्ञापन नियमावली एवं तत्संबंधी अन्य उपबंधों/नियमों को अवक्रमित करते हुए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमों को गठित करती है :-

1. शीर्षक :- यह नियमावली झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2019 के नाम से जानी जायेगी।

i. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i. 'विभाग' से अभिप्रेत है सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

ii. 'सचिव' से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

iii. 'निदेशालय' से अभिप्रेत है सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय।

iv. 'निदेशक' से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय।

v. 'प्राधिकृत समिति' से अभिप्रेत है राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति।

vi. 'जाँच समिति' से अभिप्रेत है जिला स्तरीय जाँच समिति।

vii. 'डीoएoवीoपीo' से अभिप्रेत है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का "विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय"।

viii. 'पंजीयक' से अभिप्रेत है, भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक (R.N.I.)।

ix. ‘ए०बी०सी०’ से अभिप्रेत है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन।

x. ‘उपक्रम’ से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति/आयोग आदि ।

xi. ‘विज्ञापन’ से अभिप्रेत है सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों से प्राप्त होने वाला विज्ञापन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा तैयार किया गया विज्ञापन/सजावटी विज्ञापन/श्रव्य-दृश्य विज्ञापन एवं तत्समान अन्य सामग्री, जिसे निदेशालय द्वारा प्रकाशित/प्रसारित कराया जाना है।

xii. ”मीडिया” से अभिप्रेत है, समाचार पत्र/पत्रिका/जर्नल/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सेटेलाईट चैनल/रेडियो/वेबसाईट/वेबपोर्टल एवं अन्य सदृश प्रसार माध्यम।

xiii. ”समाचार पत्र” से अभिप्रेत है, दैनिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/ दोपहर दैनिक/ सांध्य दैनिक/टैबलॉयड समाचार पत्र

xiv. ”क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशन” से अभिप्रेत है कि संबंधित प्रसार- माध्यम वैसी भाषाओं में प्रकाशित होता है जो झारखण्ड राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची के अंतर्गत आता है।

xv. ‘सेटेलाईट चैनल’ से अभिप्रेत है-इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वैसे सेटेलाईट चैनल जिनका प्रसारण टेलीविजन/अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर होता है।

xvi. ‘रेडियो’ से अभिप्रेत है- रेडियो/सामुदायिक रेडियो/एफ०एम०चैनल।

xvii. ‘वेबसाईट’ से अभिप्रेत है इन्टरनेट वेबसाईट/न्यूज पोर्टल/वेबमीडिया/न्यूज़ मोबाइल एप्प।

xviii. ”पत्रिका” से अभिप्रेत है, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/ त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक पत्रिका।

xix. ”स्मारिका” से अभिप्रेत है, किसी विशेष अवसर पर किसी संस्था/विभाग/NGO आदि द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पठन सामग्री।

xx. ”विशेषांक” से अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट विषय/विशेष अवसर पर विभिन्न मीडिया/प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पाठन सामग्री। विशेषांक, स्मारिका की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

3. उद्देश्य :-झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2019 के उद्देश्य निम्नवत है :-

3.1 झारखण्ड सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/सूचनाओं/उपलब्धियों आदि का जनहित में विभिन्न प्रसार-माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

3.2 विज्ञापन निर्गम हेतु विभिन्न प्रसार-माध्यमों की सूचीबद्धता की पात्रता निर्धारित करना।

3.3 विज्ञापन को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पहुँचाना।

3.4 प्रचार-प्रसार करने हेतु विभिन्न मीडिया का समुचित उपयोग करना।

3.5 सभी विज्ञापनों की स्वीकृति, निर्गम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना।

3.6 इस नियमावली के तहत योग्य प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक एंव अन्य प्रसार-माध्यमों को सूचीबद्ध करते हुए उनकी एक सूची संधारित करना।

4. सूचीबद्धता हेतु झारखण्ड राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के लिए प्रावधान एवं पात्रता :-

4.1 समाचार पत्रों के स्वीकृत सूची में शामिल होने की प्रक्रिया :- स्वीकृत सूची में नाम सम्मिलित कराने के इच्छुक समाचार पत्र को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में आवेदन निदेशक को देना होगा। निदेशक आवेदन की जाँच हेतु आवेदन संबंधित जिला (समाचार पत्र के प्रकाशन/मुद्रण, स्थल का जिला) में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित 'जाँच समिति' के विचारार्थ प्रेषित करेंगे। 'जाँच समिति का स्वरूप' निम्न प्रकार होगाः-

उपायुक्त	-	अध्यक्ष
वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
प्रमंडलीय उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	-	सदस्य
उपाधीक्षक विशेष शाखा	-	सदस्य
जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव

4.2 संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय आवेदित समाचार पत्र की विगत एक वर्ष में प्रकाशित सामग्रियों की स्वर एवं प्रवृत्ति, नीति, भाषा शैली, गुणवत्ता सहित अनैतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक-विद्वेष, भयादोहन इत्यादि से संबंधित सामग्रियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे तथा जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे। जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, प्रकाशन की निरंतरता, नियमितता तथा सम्यक् प्रसार से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे।

4.3 उपाधीक्षक विशेष शाखा, आवेदित समाचार पत्र के प्रकाशक की गोपनीय अभ्युक्ति शाख तथा सत्य निष्ठा से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे।

4.4 जाँच समिति आवेदन की समीक्षा करते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन निदेशक को प्रतिवेदित करेगी।

4.5 निदेशक "जाँच समिति" से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रसंगाधीन प्रसार माध्यमों को स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखेंगे।

4.6 प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	-	अध्यक्ष
महानिदेशक/अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक (विशेष शाखा)	-	सदस्य

योजना- सह -वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	-	सदस्य
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	-	सदस्य
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	-	सदस्य सचिव
उप निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन	-	सदस्य

4.7 प्राधिकृत समिति आवश्यकता, व्यवहारिकता एवं राज्यहित को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार कर अनुशंसा करेगी जिस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5. झारखण्ड राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की सूचीबद्धता हेतु पात्रताः-

5.1

क्र० सं०	समाचार पत्र की प्रकृति	भाषा	न्यूनतम आकार	न्यूनतम प्रसार संख्या	न्यूनतम कॉलम	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
01	दैनिक	हिन्दी	33cm X 45cm	30,000	7	12
		अंग्रेजी	33cm X 45cm	20,000	7	12
		उर्दू	33cm X 45cm	15,000	7	8
		क्षेत्रीय	33cm X 45cm	8,000	7	8
02	साप्ताहिक	हिन्दी	25cm X 38cm	15,000	6	6
		अंग्रेजी	25cm X 38cm	10,000	6	6
		उर्दू	25cm X 38cm	5,000	5	6
		क्षेत्रीय	25cm X 38cm	3,000	5	6
03	पाक्षिक	हिन्दी	25cm X 38cm	15,000	6	6
		अंग्रेजी	25cm X 38cm	10,000	6	6
		उर्दू	25cm X 38cm	5,000	5	6
		क्षेत्रीय	25cm X 38cm	3,000	5	6
04	सांध्य दैनिक	हिन्दी	25cm X 38cm	10,000	6	6
		अंग्रेजी	25cm X 38cm	5,000	6	6
		उर्दू	25cm X 38cm	3,000	5	6
		क्षेत्रीय	25cm X 38cm	2,000	5	6
05	दोपहर दैनिक	हिन्दी	25cm X 38cm	10,000	6	6
		अंग्रेजी	25cm X 38cm	5,000	6	6
		उर्दू	25cm X 38cm	3,000	5	6
		क्षेत्रीय	25cm X 38cm	2,000	5	6

06	टैबलॉयड	हिन्दी	25cm X 38cm	10,000	6	6
		अंग्रेजी	25cm X 38cm	5,000	6	6
		उर्दू	25cm X 38cm	3,000	5	6
		क्षेत्रीय	25cm X 38cm	2,000	5	6

5.2 उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित समाचार पत्र के संस्करणों को सूचीबद्धता हेतु निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करना होगा :-

5.2.1 समाचार पत्र को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के अनुसार समाचार पत्रों के पंजीयक (आर०एन०आई०) से निबंधित होना होगा।

5.2.2 समाचार पत्र को डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर प्राप्त होना चाहिए।

5.2.3 डी०ए०वी०पी० / ए०बी०सी० द्वारा प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

5.2.4 समाचार पत्र का कम से कम 12 महीनों तक अबाध (समाचार पत्रों के द्वारा घोषित अवकाश को छोड़कर) प्रकाशन आवश्यक होगा। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पत्र का नाम, वर्ष, अंक, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान, दिन व दिनांक तथा प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार पत्र का नाम, पृष्ठ संख्या व दिनांक मुद्रित होनी चाहिए।

5.2.5 समाचार पत्रों के आवेदन में प्रेस के पता का उल्लेख आवश्यक होगा।

5.2.6 स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु आवेदनकर्ता को समाचार पत्र की बिक्री से दिया गया आयकर रिटर्न, विगत एक वर्ष में क्रय किए गये कागज के मूल विपत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का प्रमाण पत्र तथा विगत एक वर्ष का विद्युत खर्च करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं विवरणी तथा भुगतान का ब्यौरा देना होगा।

5.2.7 न्यायालय अथवा किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा दंडित / कालीकृत व्यक्ति / व्यक्तियों / संस्थान / संस्थानों द्वारा प्रकाशित / मुद्रित एवं संपादित समाचार पत्र आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।

5.2.8 सांप्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृत सूची में नहीं रखा जायेगा।

5.2.9 समाचार पत्र द्वारा RNI में फॉर्म II में समर्पित किए गए नवीनतम ऑनलाईन वार्षिक विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

6. सूचीबद्धता हेतु झारखण्ड राज्य के बाहर प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की पात्रता एवं प्रावधानः-

6.1 राज्य के बाहर प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के वैसे संस्करण जिनकी न्यूनतम प्रसार-संख्या 75,000 (पचहत्तर हजार) प्रतियाँ प्रतिदिन है तथा स्वीकृत सूची में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें नियम 5.2 में वर्णित अर्हत्ताओं को पूर्ण करना होगा। समाचार पत्र का न्यूनतम आकार 33 से०मी० x 45 से०मी० तथा 7 कॉलम होना चाहिए। पृष्ठों की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। निदेशालय में उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर सीधे प्राधिकृत समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

6.2 वैसे समाचार पत्र जो राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं है तथा राज्य सरकार यह महसूस करती है कि वैसे समाचार पत्र को विज्ञापन देना आवश्यक है तो नियम 24.3 में निहित प्रावधानों के आलोक में विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

7. स्वीकृत सूची हेतु पत्रिकाओं की पात्रता :-

7.1 राष्ट्रीय स्तर (झारखण्ड राज्य के बाहर प्रकाशित होने वाली) पत्रिका:-

क्र० सं०	पत्रिका की प्रकृति	भाषा	न्यूनतम आकार	न्यूनतम प्रसार संख्या	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
01	मासिक	हिन्दी	15cm X 23cm	75,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	75,000	32
02	पाक्षिक	हिन्दी	15cm X 23cm	50,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	50,000	32
03	साप्ताहिक	हिन्दी	15cm X 23cm	30,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	30,000	32

7.2 उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित पत्रिकाओं के संस्करण को सूचीबद्धता हेतु निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करना होगा :-

7.2.1 पत्रिकाओं को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के अनुसार समाचार पत्रों के पंजीयक(आर०एन०आई०) से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।

7.2.2 RNI/ABC/DAVP द्वारा निर्गत प्रसार-संख्या का प्रमाण-पत्र देना होगा।

7.2.3 डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर का प्रमाण पत्र देना होगा।

7.2.4 RNI में फॉर्म II में समर्पित किये गये नवीनतम ऑनलाईन वार्षिक विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

7.2.5 हिन्दी एवं अंग्रेजी के मासिक पत्रिका का प्रसार कम से कम 5 राज्यों में होनी चाहिए एवं पाक्षिक तथा साप्ताहिक पत्रिका का प्रसार कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए।

7.2.6 राष्ट्रीय पत्रिकाओं (जिनका प्रकाशन राज्य से बाहर होता हो) के आवेदन पर प्राधिकृत समिति सीधे विचार करेगी।

7.3 झारखण्ड राज्य से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाः-

क्र० सं०	पत्रिका की प्रकृति	भाषा	न्यूनतम आकार	न्यूनतम प्रसार संख्या	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
01	मासिक	हिन्दी	15cm X 23cm	20,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	10,000	32
		उर्दू	15cm X 23cm	8,000	32
		क्षेत्रीय	15cm X 23cm	8,000	32
02	पाक्षिक	हिन्दी	15cm X 23cm	15,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	5,000	32
		उर्दू	15cm X 23cm	5,000	32
		क्षेत्रीय	15cm X 23cm	5,000	32
03	साप्ताहिक	हिन्दी	15cm X 23cm	10,000	32
		अंग्रेजी	15cm X 23cm	3,000	32
		उर्दू	15cm X 23cm	3,000	32
		क्षेत्रीय	15cm X 23cm	3,000	32

7.4 उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित पत्रिकाओं के संस्करण को सूचीबद्धता हेतु निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करना होगा :-

7.4.1 पत्रिकाओं को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार समाचार पत्रों के पंजीयक (आर०एन०आई०) से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।

7.4.2 RNI/ABC/DAVP द्वारा निर्गत प्रसार-संख्या का प्रमाण-पत्र देना होगा।

7.4.3 डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर का प्रमाण पत्र देना होगा ।

7.4.4 RNI में फॉर्म II में समर्पित किये गये नवीनतम ऑनलाईन वार्षिक विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

7.5 राज्य स्तरीय पत्रिकाओं (झारखण्ड राज्य से प्रकाशित होने वाली) को स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु समाचार पत्रों की भाँति निदेशालय में आवेदन देना होगा। प्राप्त आवेदन को निदेशक 'जाँच समिति' के प्रतिवेदन हेतु प्रकाशन स्थल से संबंधित जिला को प्रेषित करेंगे। जाँच समिति अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन निदेशक को प्रेषित करेगी, निदेशक जिसे प्राधिकृत समिति के विचारार्थ रखेंगे।

7.6 वैसी पत्रिकाएँ जो राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं है तथा राज्य सरकार यह महसूस करती है कि ऐसे पत्रिका को विज्ञापन देना आवश्यक है तो नियम 24.3 में निहित प्रावधानों के आलोक में विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

8. स्वीकृत सूची हेतु रेडियो, एफ०एम० स्टेशन/सामुदायिक रेडियो के लिए प्रावधान एवं पात्रताः-

8.1 भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रसार भारती द्वारा संचालित रेडियो चैनल स्वतः स्वीकृत सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

8.2 निम्नांकित पात्रता रखने वाले रेडियो, एफ०एम० स्टेशन/सामुदायिक रेडियो स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु निदेशालय में आवेदन (परिशिष्ट-2) दे सकते हैंः-

8.2.1 ऐसे रेडियो, एफ०एम० स्टेशन/सामुदायिक रेडियो जो समाचार/सामयिक घटनाओं/सामाजिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/व्यवसायिक विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करते हों।

8.2.2 रेडियो, एफ०एम० स्टेशन/सामुदायिक रेडियो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत लाइसेंस की छायाप्रति समर्पित करनी होगी। साथ ही, दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार की संबंधित शाखा से निर्गत Frequency Allotment का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

8.2.3 रेडियो चैनल का डी०ए०वी०पी० से प्रसारण दर निर्धारित हो।

8.2.4 आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 12 महीनों का अबाधित प्रसारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.2.5 रेडियो/एफ०एम० स्टेशन/सामुदायिक रेडियो के संचालक कंपनी की विवरणी एवं इसके निबंधन का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

8.2.6 निदेशक आवेदन को प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। प्राधिकृत समिति के मंतव्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. स्वीकृत सूची हेतु सैटेलाईट टी०वी० चैनल की पात्रता एवं प्रावधान :-

9.1 भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रसार भारती द्वारा संचालित टेलिविजन चैनल स्वतः स्वीकृत सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

9.2 निम्नांकित पात्रता रखने वाले सैटेलाईट टी०वी० चैनल स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु विभाग में आवेदन (परिशिष्ट-3) दे सकते हैं :-

9.2.1 सैटेलाईट टी०वी० चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत लाइसेंस की छायाप्रति समर्पित करनी होगी। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत uplink एवं downlink प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

9.2.2 सैटेलाईट टी०वी०चैनल को डी०ए०वी०पी० से दर प्राप्त होना चाहिए।

9.2.3 आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 12 महीने का अबाधित प्रसारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2.4 सैटेलाईट टी०वी० चैनल के संचालक कंपनी की विवरणी एवं इसके निबंधन का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

9.2.5 ऐसे प्राप्त आवेदन को निदेशक प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। प्राधिकृत समिति के मंतव्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

10. स्वीकृत सूची हेतु वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प की पात्रता एवं प्रावधान :-

निम्नांकित पात्रता रखने वाले वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु निदेशालय में आवेदन (परिशिष्ट -4) दे सकते हैं :-

10.1 वैसे वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प जो विगत एक वर्ष से पूर्णतः समाचार संप्रेषण करते हों।

10.2 वेबसाईट का औसत न्यूनतम यूजर 2000 प्रतिदिन हो।

10.3 सुप्रतिष्ठित एनालिटिक्स डाटा के आधार पर वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प का अपना युनिक यूजर बेस का सत्यापित प्रतिवेदन देना होगा।

10.4 जिस वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प का स्वामित्व, सर्वर एवं संचालन भारत में हो वही वेबसाईट आवेदन देने के पात्र होंगे।

10.5 वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प साईबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित हो। इस हेतु उन्हें Security audit report या HTTPS/SSL आदि द्वारा निर्गत certificate की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

10.6 वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प से अर्जित राजस्व के संदर्भ में विगत एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।

10.7 वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प के संचालक, फर्म/कंपनी को उसके निबंधन का दस्तावेज, पैन कार्ड की विवरणी उपलब्ध कराना होगा।

10.8 वेबसाईट/वेबपोर्टल/न्यूज़ एप्प के संचालक एवं कार्यालय का पता संबंधी विवरणी उपलब्ध करानी होगी।

10.9 ऐसे प्राप्त आवेदन को निदेशक प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11. विज्ञापन हेतु स्मारिका तथा विशेषांक की पात्रता एवं प्रावधान :-

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वैच्छिक संस्थानों/पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा विशेष अवसरों पर स्मारिका एवं विशेषांक का प्रकाशन कराया जाता है जिसमें ऐसे संस्थानों के द्वारा विज्ञापन की अपेक्षा की जाती है। ऐसे संस्थानों को विज्ञापन देने की पात्रता निम्नलिखित होगी :-

11.1 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञापन देने से लक्षित जन समूह को फायदा होगा।

11.2 संबंधित संस्थान किसी निजी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा।

11.3 स्मारिका का प्रकाशन लोकहित में किया गया हो।

11.4 ऐसे संस्थानों/पत्रिकाओं को स्मारिका के लिए वर्ष में अधिकतम एक बार ही विज्ञापन देय होगा।

11.5 स्मारिका एवं डी०ए०वी०पी० दर अप्राप्त किसी पत्रिका के विशेषांक में विज्ञापन प्रकाशन हेतु दर निर्धारण समिति की अनुशंसा के आलोक में

निर्धारित किये गये प्रति पृष्ठ के विज्ञापन प्रकाशन के दर पर ही विज्ञापन उपलब्ध कराया जायेगा।

12. विज्ञापन कोई अधिकार नहीं :-

12.1 प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक एंव अन्य मीडिया में सरकारी विज्ञापनों का निर्गम किसी मीडिया संस्थान विशेष का वित्त पोषण नहीं समझा जायेगा। स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न मीडिया के स्वीकृत सूची में शामिल होने मात्र से विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इन्हें विभाग द्वारा प्रकाशन/ प्रसारण/प्रदर्शन की आवश्यकता/ लक्षित जन समूह/क्षेत्र तथा सरकार के मितव्ययिता परिपत्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिया जायेगा।

12.2 विभिन्न मीडिया, जो कि स्वीकृत सूची में शामिल होने की पात्रता रखते हैं, को स्वीकृत सूची में शामिल किया जाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

12.3 विभिन्न मीडिया, जो स्वीकृत सूची में शामिल हैं और यह पाया जाता है कि उसमें प्रकाशित/प्रसारित समाचार/विज्ञापन जनहित/जनरूचि के विरूद्ध है तो तत्काल संबंधित मीडिया में विज्ञापन रोकने के लिए विभाग/निदेशालय स्वतंत्र होगा। यदि प्रकाशित/प्रसारित समाचार राष्ट्रहित के प्रतिकूल पाये जाते हैं और यह महसूस किया जाता है कि सामाजिक समरसता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में विभाग प्रेस एक्ट/आई०टी० एक्ट/आईफपी०सी० एक्ट एवं तत्समय प्रवृत विभिन्न विधिक नियमों/नियमावली/अधिनियमों में प्रसंगाधीन गतिविधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए वर्णित सक्षम प्राधिकार को कार्रवाई के लिए अनुशंसित करेगा।

13. आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार :-

13.1 विभिन्न मीडिया माध्यमों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सचिव/निदेशक को संबंधित प्रसार माध्यम से कारण पृच्छा का अधिकार होगा। साथ ही, जिस मीडिया के विरूद्ध शिकायत प्राप्त है, उसकी जाँच कराने के लिए सचिव/निदेशक स्वतंत्र होंगे। जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर तथा सत्यता प्रमाणित होने पर सचिव/निदेशक को यह अधिकार होगा कि उस मीडिया का विज्ञापन तत्काल स्थगित कर साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदन को प्राधिकृत समिति के समक्ष छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से रखेंगे, जिस पर प्राधिकृत समिति समीक्षा कर कार्रवाई हेतु अपना मंतव्य उपलब्ध कराएगी।

13.2 प्राधिकृत समिति को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न मीडिया को राज्यहित/कार्यहित में बिना कारण बताये असूचीबद्ध करने के लिए अनुशंसा करेगी जिस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

14. विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया :-

झारखण्ड सरकार के सभी विभागों एवं झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति/आयोग के समस्त विज्ञापन निर्गम कार्य सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में केन्द्रीकृत रहेंगे। ऐसे केन्द्रीकृत विज्ञापनों के निर्गम की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

14.1 झारखण्ड सरकार के सभी विभागों एवं झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति/आयोग विज्ञापन प्रेषित करने हेतु अपने कार्यालय के लिए कार्यालय प्रधान को चिन्हित करेंगे, जो विज्ञापन प्रेषित करने हेतु सक्षम होंगे। विज्ञापन प्रेषित करने वाले सभी विभाग एवं उपक्रम प्राधिकृत पदाधिकारी की सूची निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

14.2 विज्ञापन प्रेषित करने हेतु सामान्यतः निविदा सूचना परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों पूर्व, अल्पकालीन निविदा के लिए 15 (पन्द्रह) दिनों पूर्व तथा अति अल्पकालीन निविदा के लिए 7 (सात) दिनों पूर्व अपने विज्ञापन को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में अतिअल्पकालीन निविदा के लिए 7 दिन से कम अवधि में सचिव/निदेशक के आदेश से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

14.3 सजावटी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 3 (तीन) दिनों पूर्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। इसके लिए संबंधितों को विभाग से आई-डी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

14.4 विभिन्न विभागों/बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान /समिति/आयोग आदि द्वारा प्राप्त विज्ञापन सामग्री में व्याकरण/वर्तनी आदि संबंधी (विज्ञापन सामग्री के मूल तत्व के आधार पर) आवश्यकतानुसार मामूली परिवर्तन का अधिकार निदेशक को होगा। विषयवस्तु/अभिकल्पना के लिए विभाग/बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति/आयोग जिम्मेवार होंगे।

14.5 विज्ञापन प्राप्त करने, निर्गत करने एवं भुगतान करने की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक संरचना एवं प्रक्रिया में परिवर्तन/संशोधन/परिमार्जन विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

14.6 विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली की कंडिका 24.2 के आलोक में निर्गत किये जाने वाले कार्यपालक आदेश के माध्यम से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विज्ञापन निर्गम हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन हेतु उपयुक्त प्रसार माध्यम का चयन किया जायेगा। उपयुक्त प्रसार माध्यम के चयन हो जाने पर, उसके प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी एवं उसे प्रकाशन/प्रसारण हेतु माध्यम विशेष में निर्गमादेश निर्गत किया जायेगा।

14.7 विज्ञापन निर्गम की स्वीकृति के पश्चात् निदेशालय द्वारा निर्गमादेश (Release Order) निर्गत किया जायेगा, जिनमें अन्य बातों के अलावा विज्ञापन के आकार, प्रकृति, तिथि, संस्करण आदि का उल्लेख होगा। विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करने वाले मीडिया का यह दायित्व होगा कि वह निर्गमादेश में उल्लेखित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें, अन्यथा प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन का भुगतान कटौती/अमान्य किया जा सकता है। इसके लिए सचिव/निदेशक समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

14.8 निदेशालय राज्य सरकार के सभी विभागों एवं उपक्रमों की उपलब्धियों पर आधारित सजावटी विज्ञापन/श्रव्य-दृश्य विज्ञापन सामग्री/रेडियो जिंगल/ स्पॉट/बुलेटिन आदि अपने स्तर से जनहित में प्रकाशित/प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा।

15. विज्ञापन के वितरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :-

15.1 निदेशालय विज्ञापनों का निर्गम डी०ए०वी०पी० मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्वीकृत सूची में सम्मिलित विभिन्न प्रसार माध्यमों में करेगा। स्वीकृत सूची से बाहर के विभिन्न प्रसार माध्यमों में विज्ञापन का निर्गम नियम 24 के आलोक में किया जाएगा।

15.2 डी०ए०वी०पी० द्वारा समय-समय पर विभिन्न माध्यमों के दर में परिवर्त्तन किया जाता है तो वह दर स्वतः अंगीकृत हो जाएगा। विभिन्न अवसरों पर किसी विशिष्ट पृष्ठ (Premium Page) पर सजावटी विज्ञापन के प्रकाशन करने पर डी०ए०वी०पी० के मानक तथा दर के आलोक में निर्गम एवं भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

15.3 इस नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के उपरांत विज्ञापन का निर्गम किया जायेगा।

15.4 विज्ञापन निर्गम के पश्चात् संबंधित मीडिया का यह दायित्व होगा कि वे विज्ञापन प्रसारण/प्रकाशन के पश्चात विपत्र के साथ विज्ञापन के प्रकाशन/ प्रसारण से संबंधित प्रमाण-पत्र/अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे।

15.5 प्राप्त विज्ञापन विपत्रों की सम्य्क जाँचोपरांत भुगतान की कार्रवाई विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

15.6 यदि कोई विज्ञापन त्रुटिपूर्ण अथवा गलत प्रकाशित/प्रसारित/प्रदर्शित होता है, तो वैसी स्थिति में प्रकाशक पुनः नियत समय सीमा (यदि शेष हो) में सही विज्ञापन सामग्री निःशुल्क प्रकाशित/प्रसारित/प्रदर्शित करेंगे। समय सीमा अशेष होने पर प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन का पूर्ण भुगतान अनुमान्य नहीं होगा । बार-बार त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के प्रकाशन होने पर संबंधित मीडिया के लिए विज्ञापन निर्गम स्थगित किया जा सकता है।

15.7 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापनों से आवश्यक कटौती हेतु सचिव/निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे।

16. ग्लोबल विज्ञापन :- झारखण्ड सरकार के सभी विभागों एवं झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी निकाय/निगम/लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठान/समिति/आयोग को ग्लोबल विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी परिस्थिति में वे समाचार पत्र/पत्रिका/ चैनल/वेबसाईट का उल्लेख करते हुए विज्ञापन सामग्री निदेशालय को न्यूनतम चालीस दिन पूर्व सुलभ करायेंगे।

17. झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी निकाय/निगम/लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठान/समिति/आयोग से प्राप्त विज्ञापनों के लिए प्रावधान :- ऐसे संस्थानों का दायित्व होगा कि वे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही विज्ञापन मद के लिए कर्णांकित राशि "झारखण्ड संवाद" के पी०एल० खाते में जमा करायेंगे।

यदि विभाग द्वारा विज्ञापन मद के लिए झारखण्ड संवाद के पी०एल० खाते में जमा कराई गई राशि समाप्त हो जाय एवं झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाली सभी बोर्ड/निगम/निकाय/लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठान/समिति/आयोग द्वारा जनहित एवं कार्यहित में विज्ञापन आवश्यक हो तो, विशेष परिस्थिति में निदेशालय/झारखण्ड संवाद(बोर्ड) से स्वीकृति प्राप्त कर विज्ञापन का प्रकाशन कराया जा सकेगा, जिसके विरूद्ध प्राप्त विपत्रों का भुगतान निदेशालय को प्राप्त बजटीय आवंटन से अथवा झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2015 के नियम 12 के आलोक में पूर्व से गठित झारखण्ड संवाद(बोर्ड) को उपलब्ध राशि से किया जायेगा । भुगतान की गई राशि संबंधित बोर्ड/निगम/निकाय/लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठान/समिति/आयोग से झारखण्ड संवाद(बोर्ड) के पी०एल० खाते में प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

18. **होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत-नाट्य, नुक्कड़ नाटक, प्रचार-प्रसार के अन्य प्रचलित माध्यमों से विज्ञापन के उदेश्य को पूरा करना :-** राज्य सरकार होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, पारम्परिक मीडिया यथा गीत-नाट्य, नुक्कड़ नाटक इत्यादि तथा प्रचार-प्रसार के अन्य प्रचलित माध्यम से लक्षित वर्ग समूह में प्रचार-प्रसार/विज्ञापन का कार्य करायेगी। इसके लिए निदेशालय उपयुक्त संस्थान/एजेंसी/दल/फर्म इत्यादि को सूचीबद्ध कर उनसे कार्य कराने के लिए सक्षम होगा।

19. **विज्ञापन निर्गमन हेतु गठित समिति (झारखण्ड संवाद) का सुदृढ़ीकरण :-** विज्ञापन की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण, समय के अनुसार बदलती हुई समुन्नत तकनीक को शीघ्र अंगीकार करने, विभिन्न विभागों/झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठापन/समिति/आयोग से प्राप्त विज्ञापनों के सुगमतापूर्वक निर्गमन/सजावटी विज्ञापन तैयार करने/भुगतान इत्यादि हेतु पूर्व से गठित समिति (झारखण्ड संवाद) का पुर्नगठन करते हुए उसके नियमावली में आवश्यक संशोधन करेगा।

20. **स्वीकृत सूची में सम्मिलित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के संस्करण/चैनल/वेबसाईट आदि को स्वीकृत सूची से नाम हटाने संबंधी प्रावधान :-**

निम्नांकित स्थितियों में से विभिन्न मीडिया के किसी एक अथवा सभी का विज्ञापन स्थगित रखने तथा स्वीकृत सूची से नाम हटाने हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव सक्षम होंगे, परंतु इसकी सम्पुष्टि छः महीनों के अंदर राज्य प्राधिकृत समिति से प्राप्त करना होगा :-

20.1 यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाए कि विभिन्न मीडिया द्वारा सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात् इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है, या किसी समाचार-पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है।

20.2 विज्ञापन प्राप्त करने वाले विभिन्न मीडिया ने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, केबल टी०वी० नेटवर्क अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य समय-समय पर जारी संबंधित नियमों/परिनियमों/अधिनियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया है।

20.3 सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडों एवं देशहित के प्रतिकूल टीका टिप्पणी और सामग्री होने पर।

20.4 भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निधारित आचार संहिता का अक्षरशः पालन नहीं करने पर।

20.5 विभिन्न मीडिया से अनैतिक/समाज विरोधी कार्यों की शिकायत पर न्यायालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा दंडित किए जाने पर।

21. विभिन्न सूचीबद्ध प्रसार-माध्यमों का पुनरीक्षण :- विभिन्न सूचीबद्ध प्रसार-माध्यमों की मान्यता सूचीबद्धता की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए मान्य होगी। 03 (तीन) वर्षों की अवधि के पश्चात् सूचीबद्धता में विस्तार हेतु इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप विहित प्रपत्र में निदेशालय प्रतिवेदन की माँग करेगा और इस आधार पर निदेशक एक प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकृत समिति के समक्ष रखेंगे जिसपर विचारोपरांत उक्त समिति अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लेगी।

22. पूर्व से स्वीकृत सूची में सम्मिलित विभिन्न प्रसार-माध्यमों की अनुमान्यता :- वैसे सभी मीडिया, जो पूर्व से झारखण्ड राज्य की स्वीकृत सूची में सम्मिलित है, उनकी अनुमान्यता प्राधिकृत समिति की अनुशंसा में अंकित तिथि तक ही मान्य होगी। अनुमान्यता की अवधि समाप्त होने से पूर्व नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राधिकृत समिति के समक्ष अवधि विस्तार हेतु विचारार्थ रखा जायेगा।

23. समाचार पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/वेबसाईट इत्यादि का दायित्व :-

23.1 स्वीकृत सूची में सम्मिलित समाचार पत्र/पत्रिकाओं, जिन्हें विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं, के प्रकाशक/प्रबंधक नियमित रूप से अपने समाचार पत्र/पत्रिका की प्रतियां विभाग/निदेशालय एवं संबंधित विज्ञापनदाता कार्यालय को निःशुल्क सुलभ करायेंगे।

23.2 निर्गमादेश (Release Order) के अनुरूप ही विज्ञापन का प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन किया जायेगा। विभिन्न प्रसार माध्यमों के द्वारा इस संबंध में कोई परिवर्तन अपने स्तर से नहीं किया जाएगा।

24. विज्ञापन निर्गम के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

24.1 किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त विज्ञापनों के आकार एवं सजावटी विज्ञापन की सामग्री में परिवर्तन, संशोधन करने का अधिकार एवं किसी विभाग की उपलब्धियों आदि से संबंधित सजावटी विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने एवं भुगतान करने का अधिकार निदेशालय का होगा।

24.2 विज्ञापन निर्गत करने हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्यपालक आदेश के अंतर्गत किया जायेगा। वित्तीय शक्तियों की सीमा का निर्धारण/परिवर्तन कार्यपालक आदेश के द्वारा किया जा सकेगा।

24.3 वैसे पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रानिक चैनल/वेबसाईट इत्यादि जिन्हें डी०ए०वी०पी० दर प्राप्त नहीं है तथा राज्य सरकार राज्यहित में इन पत्र-पत्रिका/चैनल इत्यादि में विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहती है तो इसके लिए सचिव की अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठित होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

i. सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग - अध्यक्ष
ii. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय - सदस्य
iii. योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी - सदस्य
iv. गृह विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी - सदस्य
v. उप निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन - सदस्य सचिव

दर निर्धारण समिति ऐसे पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक चैनलों/वेबसाईट में विज्ञापन हेतु डी०ए०वी०पी० के मापदंड को आधार मानकर/अन्य राज्यों में निर्धारित मापदंडो/निर्गमादेशों को ध्यान में रखते हुए दर की अनुशंसा करेगी, जिसपर विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा। साथ ही उक्त समिति राज्य हित में टी०वी० चैनलों/रेडियो चैनलों में एपिसोड/बुलेटिन/श्रव्य-दृश्य आदि सामग्रियों के निर्माण एवं प्रसारण हेतु डी०ए०वी०पी० के मानकों को आधार मानते हुए दर निर्धारित करने में सक्षम होगी। यह दर अधिकतम दो वर्ष के लिए ही मान्य होगा।

25. नियमावली में संशोधन/परिवर्तन का प्रावधानः- इस नियमावली में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन सरकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

26. अन्यान्य :-

26.1 यह नियमावली अधिसूचना निर्गम की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसके पूर्व इस विषय पर निर्गत सभी संबंधित आदेश/अनुदेश/अधिसूचना अवक्रमित समझे जाएंगे।

ऐसे आदेश/अनुदेश के अवक्रमण के होते हुए भी उक्त आदेशों/अनुदेशों द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

26.2 नियमावाली के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी विज्ञापनों का निदेशालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्तर से निर्गमन/प्रकाशन निषिद्ध होगा।

26.3 विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर सचिव/निदेशक विज्ञापन प्रकाशन का तत्काल आदेश दे सकेंगे, परंतु इस प्रकार से दिए गए आदेश एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति इस नियमावली की कंडिका 24.2 के आलोक में निर्गत किये जाने वाले कार्यपालक आदेश के माध्यम से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विज्ञापन निर्गम हेतु सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

26.4 निदेशालय को यह शक्ति प्रदत्त रहेगी कि सरकार के विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निविदा/दर निर्धारण समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर के Multi Media Agencies/Consulting Agencies को सूचीबद्ध कर सकता है तथा उन्हें सामान्य वित्तीय नियमों के तहत कार्य आवंटित कर सकता है।

26.5 झारखण्ड राज्य में विभिन्न मीडियों के प्रसार संख्या/TAM (Television Audience Measurement) रिपोर्ट/हिट्स आदि की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र एजेन्सी का सेवा प्राप्त किया जा सकेगा ।

26.6 विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों/Conclave/सेमिनार आदि के आयोजन के संबंध में प्रायोजन (Sponsorship)/सरकार की सहभागिता हेतु आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। निदेशालय प्राप्त प्रस्तावों का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार इन्हें दर निर्धारण समिति के विचारार्थ रखेगा। दर निर्धारण समिति प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली प्रायोजन राशि की अनुशंसा करेगी, जिस पर इस नियमावली की कंडिका 24.2 के आलोक में निर्गत किये जाने वाले कार्यपालक आदेश के माध्यम से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विज्ञापन निर्गम हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

26.7 इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए समय-समय पर आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को समिति के गठन की शक्ति होगी।

झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2019 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

डॉ० सुनील कुमार बर्णवाल
सचिव
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
झारखण्ड

प्रकाशक:

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सूचना भवन, मेयर्स रोड, राँची, झारखण्ड

दूरभाष: 0651 - 2282458/ 2281522

website : prdjharkhand.in

e-library : elibrary.jharkhand.gov.in

e-mail : iprd123@gmail.com

3626/19 • Kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15